

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2740]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 11, 2013/अग्रहायण 20, 1935

No. 2740]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 11, 2013/AGRAHAYANA 20, 1935

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

[आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3615 (अ).—जबकि भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) (इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में उल्लिखित) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अनुसरण में, उन राज्यों से, जिनमें भारतीय चिकित्सा राज्य पंजिका का रख-रखाव किया जाता है, आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी चिकित्सा पद्धतियों के सदस्य आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी चिकित्साभ्यासियों के रूप में उस पंजिका में दर्ज व्यक्तियों द्वारा अपने बीच से निर्वाचित किए गए हैं।

अब, अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना सं.का.आ. 3259(अ) तारीख 21 अगस्त, 1971 में निम्नांकित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अंतर्गत निर्वाचित :—

तालिका

क्र.सं.	राज्य का नाम	सदस्यों का विवरण	चिकित्सा पद्धति	निर्वाचन की तारीख	सदस्यता की विधिमान्य अवधि
1	2	3	4	5	6
1	असम	डा. गजेन्द्र भराली, पवित्र कुटीर, देवगिरी पथ, मकान नं.-10, पी.ओ. खारघिल, गुवाहाटी-781004 (असम)	आयुर्वेद	5.11.2013	उनके चुनाव की तारीख से पांच वर्ष अवधि तक या संबंधित भारतीय चिकित्सा राज्य पंजिका में उनके पंजीकरण के स्थगन पर, इनमें से जो भी पहले हो।

[फा. सं. ए.11019/48/2012-ईसी/सीसीआईएम निर्वाचन(असम)]

राज प्रताप सिंह, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण: मूल अधिसूचना का.आ.सं. 3259(अ) तारीख 21 अगस्त, 1971 द्वारा जारी की गई थी और उसमें पिछली बार संशोधन का.आ. सं.2078 (अ) तारीख 13 सितम्बर, 2011 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

[Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy]

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th December, 2013

S.O. 3615 (E).—Whereas in pursuance of clause (a) of sub-section (1) of section 3 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970) (hereinafter referred to as the said Act) Members for Ayurveda, Siddha and Unani Systems of medicine from the State in which the State Register of Indian Medicine is maintained, have been elected from amongst themselves by persons enrolled on that Register as practitioners of Ayurveda, Siddha and Unani.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the said Act, the Central Government makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Health and Family Welfare S.O. number 3259 (E), dated the 21st August, 1971, namely:—

Elected under clause (a) of sub-section (1) of section 3:—

S.No.	Name of the State	Particulars of the members	System of medicine	Date of election	Valid Term of membership
1	2	3	4	5	6
1	Assam	Dr. Gajendra Bharali Pabitra Kutir, Devagiri Path, House No.10, P.O. Kharghli, Guwahati- 781004 (Assam)	Ayurveda	5.11.2013	Term of five years from the date of his election or till he ceases to be enrolled on the concerned State Register of Indian Medicine whichever is earlier.

[No. A. 11019/48/2012-EC/CCIM Election (Assam)]

RAJ PRATAP SINGH, Jt. Secy.

Foot Note : The principal notification was issued *vide* number S.O. 3259 (E), dated the 21st August, 1971 and lastly amended *vide* No. S.O. 2078(E), dated the 13th September, 2011.